

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2019—श्रावण 22, शक 1941

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2019

क्र. 6860-एफ-2-15-2017-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शशि भूषण पाठक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य (विधि) नियुक्त करता है.

2. उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी. उक्त नियुक्ति श्री शशि भूषण पाठक द्वारा सदस्य (विधि) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.